

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./1114

/2020/रायगढ़, दिनांक - 10/09/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/तक./3535 बिलासपुर दिनांक 11.06.2020

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction work of 132 KV DCDS line to Provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC हेतु कुल क्षेत्र 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./587 रायगढ़ दिनांक 19.05.2020 को आपको प्रेषित की गयी थी।

संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव के निरीक्षण उपरांत 9 बिन्दुओं की कमियां पायी गयी थी। जिसकी पूर्ति निम्नानुसार है:-

क्र.	पायी गयी कमियां	कमियों की पूर्ति
01	प्रकरण में कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रकरण में कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा परिवेश पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाईन पावती संलग्न है।
02	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 9.511 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित वनभूमि 9.589 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण पत्र में आवेदित वन क्षेत्र रकबा 9.589 हे. का संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
03	आवेदित वनभूमि की गणना डी.जी.पी.एस. सर्वे के आधार पर जियोमेटिक सेंटर/वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल से नहीं कराया गया है।	आवेदित वनभूमि की गणना डी.जी.पी.एस. सर्वे के आधार पर जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से सत्यापन करा लिया गया है। जियोमेटिक सेंटर का एरिया शीट संलग्न है।
04	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 9.511 हे. का संलग्न किया गया	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में प्रभावित राजस्व वनभूमि

	है। आवेदित वनभूमि 9.589 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।	रकबा 7.399 हे. का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
05	प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है।
06	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु. 726270 की दर से योजना तैयार कर संलग्न किया जावे।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु. 726270.00 की दर से योजना तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
07	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को वन के मानचित्र में अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को वन के मानचित्र में अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।
08	आवेदित क्षेत्र में ऑनलाईन प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या 1319 है, वृक्ष विदोहन योजना में वृक्षों की संख्या 1309 वृक्षों की संख्या दर्शाया गया है। एवं वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-3 के कॉलम नंबर 07 में 1309 एवं वनमण्डलाधिकारी के प्रपत्र भाग-2 में वृक्षों की संख्या 1319 है, विद्यमान वृक्षों की संख्या स्पष्ट करें।	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या 1319 है। वृक्ष विदोहन योजना एवं वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-3 में सुधार कर संशोधित विदोहन योजना एवं प्रपत्र-3 संलग्न कर दिया गया है।
09	लीनीयर प्रस्ताव में 03 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है।	लीनीयर प्रस्ताव में 03 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1115

2020/रायगढ़, दिनांक :- 10/09/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. Executive Engineer, CSPTCL, EHT Construction division Bilaspur, Near Tifra Overbridge Bilaspur (C.G.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़